ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1715/2003/गंगानगर सरकार बनाम नौरंगराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य

उपस्थितः–
श्रीमती पूनम माथुर अति. राजकीय अधिवक्ता
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

––

निर्णय

दिनांकः– 16–3–2020

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं0 699/1984 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 15–03–99 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी नौरंगराम ने एक प्रा0 पत्र बाबत् खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु ए0सी0सी0 एवं उपायुक्त उपनिवेशन, श्रीविजयनगर के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हिसामका के चक नं0 16 एच के मु0नं0 21/19, 21/26, 21/27 का कुल रकबा 33 बीघा 12 बिस्वा पर उसका कब्जा काश्त संवत् 2005 व 2006 में गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। अतः उसे खातेदार अधिकार प्रदान किए जावें। उक्त प्रा0 पत्र को उपायुक्त उपनिवेशन, विजयनगर ने दर्ज कर संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1715/2003/गंगानगर सरकार बनाम नौरंगराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मंगवाई। तत्पश्चात् उपायुक्त उपनिवेशन ने अपने आदेश दिनांक 02–11–84 द्वारा उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अति0 आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 27–11–84 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की गई, जिसे मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 23–06–93 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका 4175/1993 पेश की गई, जिसे माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14–10–1993 द्वारा स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर प्रकरण को पुनः अति0 आयुक्त उपनिवेशन पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर को विधि अनुसार सुनवाई कर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। तत्पश्चात् राजस्व अपील प्राधिकारी ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 15–03–99 द्वारा स्वीकार कर निर्णय दिनांक 02–11–84 को निरस्त कर दिया तथा 33 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से 25 बीघा भूमि पर निशुल्क खातेदारी अधिकार प्रदान किए एवं शेष 8.12 बीघा भूमि पर कीमतन खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के आदेश पारित किए। उक्त निर्णय के विरुद्ध यह निगरानी मण्डल में पेश की गई है।	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1715/2003/गंगानगर सरकार बनाम नौरंगराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। 4– योग्य अति0 राजकीय अधिवक्ता ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि धारा 15एएए के तहत केवल उन्हीं आसामियों को खातेदारी प्रदान की जा सकती है, जिनका निर्विवाद रूप से संवत् 2012 से लगातार कब्जा हो अन्यथा खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थी अपना कब्जा संवत् 2012 से लगातार होना सिद्ध नहीं कर सका इसके बावजूद राजस्व अपील प्राधिकारी ने उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किए, जो स्पष्ट रूप से नियम विरूद्ध है। उनका यह भी तर्क था कि उपायुक्त उपनिवेशन ने अप्रार्थी के प्रा0 पत्र पर तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई थी, जिसमें तहसीलदार ने स्पष्ट रूप से अंकित किया कि उसका 1971–72 से 1978 की अवधि में अभिलेख में कब्जा काश्त दर्ज नहीं है, इसी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त उपनिवेशन ने अप्रार्थी का प्रा0 पत्र खारिज किया। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ अपील न्यायालय ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि अप्रार्थी राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर कार्यरत रहा तथा विवादित भूमि 1955 से अप्रार्थी के कब्जे काश्त में नहीं थी। ऐसी स्थिति में वह	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1715/2003/गंगानगर सरकार बनाम नौरंगराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता। उनका यह भी तर्क था कि विवादित भूमि पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि है जो कि 1971–72 से 1978 तक की गिरदावरी में अंकन से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में धारा 15 एएए के तहत विवादित भूमि पर किसी को भी खातेदार प्रदान नहीं किए जा सकते। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–03–99 को निरस्त किया जावें। 5– योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिया कि अप्रार्थी के नाम 33.12 बीघा भूमि संवत् 2005–2006 में गैर खातेदारी में अंकित थी, ऐसी स्थिति में उसने खातेदारी प्रदान किए जाने हेतु प्रा0 पत्र पेश किया जिसे उपायुक्त उपनिवेशन ने अपने आदेश दिनांक 02–11–84 द्वारा निरस्त कर दिया जबकि अप्रार्थी का पानी की पर्चीया, इत्यादि से विवादित भूमि पर लगातार कब्जा काश्त होना स्पष्ट था । उनका यह भी तर्क था कि वर्ष 1971–72 से 1978 तक कागजात में अप्रार्थी गैर खातेदार दर्ज नहीं होने के आधार पर कब्जा दर्ज नहीं होना मानकर उपायुक्त उपनिवेशन ने उसका प्रा0 पत्र खारिज किया जबकि वास्तव में विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। मात्र अभिलेख में दर्ज नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता कि अप्रार्थी का कब्जा काश्त	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1715/2003/गंगानगर सरकार बनाम नौरंगराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं रहा है। उनका यह भी तर्क था कि अप्रार्थी ने विवादित भूमि पर अपना कब्जा होने के संबंध में पानी की पर्चियां, तावान के नोटिस व खसरा गिरदावरियों की फोटो प्रति पेश की, जिससे उसका विवादित आराजी पर पर पुराना कब्जा होना स्पष्ट है। उनका यह भी तर्क था कि विवादित भूमि पोंग बांध के लिए आरक्षित भूमि नहीं होकर कब्जा राज भूमि अंकित है। ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 15–3–1999 से उसे खातेदारी अधिकार प्रदान करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय उचित व विधिसम्मत है। अतः निगरानी के स्तर पर उसमें हस्तक्षेप किया जाना विधिसंगत नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावें। 6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 7– हस्तगत प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि धारा 15 एएए के अन्तर्गत केवल उन्हीं व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है जिनका सम्वत 2012 से वर्ष 1983 तक सतत् कब्जा काश्त चला आ रहा हो। अप्रार्थी का सन् 1971–72 से 1978 तक	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1715/2003/गंगानगर सरकार बनाम नौरंगराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कागजात में बतौर गैर खातेदार नाम दर्ज नहीं रहा है जैसा कि रिपोर्ट तहसीलदार में स्पष्ट अंकित है कि उसका कागजात कब्जा काश्त दर्ज नहीं है। 8– अभिलेख से यह भी व्यक्त है कि अप्रार्थी को बतौर भूमिहीन उपायुक्त उपनिवेशन राजस्थान नहर परियोजना श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा चक 17 पी में मुरब्बा न 78/50 में 12 बीघा तथा मुरब्बा न. 78/51 में 20 बीघा कुल 32 बीघा भूमि का आवंटन 15–6–1982 को कर दिया था जिसका कब्जा भी 25–11–1982 को उक्त अप्रार्थी नौरंगराम में तहसीलदार उपनिवेशन राजस्थान नहर योजना श्री विजयनगर द्वारा दिया गया। अप्रार्थी ने अपने आवंटन आवेदन में चक 17 पी में किये गये उक्त आवंटन संबंधी कोई संदर्भ नहीं दर्शाया था। अभिलेख से यह भी प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि है जैसा कि गिरदावरी रिपोर्ट पोग बांध के लिए आरक्षित भूमियों मे उक्त नोरंग राम का अतिक्रमण दर्शाया हुंआ है। यह भी अभिलेख से स्पष्ट है कि अप्रार्थी नोरंगराम वर्ष 1955 से लेकर 1965 तक राज्य सेवा में पटवारी पद पर नियुक्त रहा है। भूतपूर्व राजकीय सेवक को इस प्रकार राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण के आधार पर किया गया भूमि आवंटन विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निगरानी काबिल स्वीकार है।	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1715/2003/गंगानगर सरकार बनाम नौरंगराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	9– अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 15–3–1999 अपास्त किया जाता है। 10– मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय प्रतिप्रेषित हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (महेन्द्र कुमार पारख) सदस्य	